विषय : विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय पुस्तकालय के समीप स्थित दुकानों (2) के किराये पर आवंटन हेतु Expression of Interest (EOI) आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय पुस्तकालय के समीप स्थित निम्नांकित दुकानों को किराये पर आवंटित किए जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक फर्मों/व्यक्तियों से *Expression of Interest (EOI)* आमंत्रित किए जाते हैं। कार्य का विवरण निम्नवत् है :-

S. No	कार्य का विवरण	दुकान का आकार
1-	फार्मेसी (मेडिकल स्टोर) संचालन हेतु	4.50 मी. × 3.00 मी.
2	ग्रोसरी स्टोर संचालन हेतु (Including fruits & Vegetables, General Consumer Goods, Bakery Items etc.)	4.50 मी. × 3.00 मी.

पात्रता मानदण्ड

1. आवेदक पंजीकृत फर्म/कम्पनी/व्यक्ति भारतीय मूल का होना चाहिए।
2. संबंधित क्षेत्र में अनुभव वांछनीय होगा।
3. फार्मेसी संचालन हेतु वैध फार्मेसी लाइसेंस अनिवार्य होगा।
4. आवेदक के विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न कर सीलबंद लिफाफे (Sealed Envelope) में, फर्म के लेटरहेड अथवा साधारण A-4 आकार के कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निम्न पते पर डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे :-

Estate Office
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology
Modipuram, Meerut – 250110

<u>आवेदन पत्र प्रारूप</u>

1. फर्म/आवेदक का नाम : ____________________________
2. फर्म/आवेदक का पता : ____________________________
3. जी.एस.टी. नंबर की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो)।
4. आवेदक के पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
7. अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
8. MRP पर प्रस्तावित न्यूनतम छूट।

क्र0 सं0	**आवेदक की अभिरुचि**	**प्रस्तावित मासिक किराया**
1.	फार्मेसी (मेडिकल स्टोर) संचालन हेतु	
2	ग्रोसरी स्टोर संचालन हेतु (Including fruits & Vegetables, General Consumer Goods, Bakery Items etc.)	

आवेदक उपरोक्त में से किसी एक अथवा दोनों दुकानों हेतु आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **"EOI for Allotment of Shop at University Campus"** अंकित किया जाए तथा आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर भी उल्लेखित किया जाए।
2. दुकान के किराये में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी।
3. विद्युत बिल का भुगतान मीटर रीडिंग के अनुसार संबंधित आवंटी द्वारा समय से किया जाएगा।
4. आवंटी को निर्धारित मासिक किराये के अतिरिक्त दो माह के किराये के समतुल्य धनराशि सुरक्षा निधि (Security Deposit) के रूप में विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करनी होगी।